भारत में वृद्धों की सामाजिक समस्यायें, कारण एवं निदान

डॉ0 जयसिंह यादव,

आकाशवाणी के सामने, ठाटीपुर गाँव,
गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.),भारत–474002

वृद्धावस्था जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है यह मानव जीवन की स्वाभाविक व प्राकृतिक घटना है। प्रत्येक जीवधारी को जन्म लेने के बाद क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था से होकर गुजरना पड़ता है वृद्धावस्था को जीवन संध्या भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवन का अन्तिम पड़ाव होता है इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएं क्षीण होने लगती हैं और व्यक्ति अनेक गंभीर समस्याओं से घिर जाता है। वह दूसरों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के व्यक्तियों के विचारों को समझ ही नहीं पाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार किसी भी समाज में 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वृद्ध माना जाता है।

वर्तमान समय में वृद्धजनों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। यह समस्याएं मुख्यतः उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं व्यक्तिगत, मानसिक रूप से जुड़ी है। इस अवस्था में धन की आवश्यकता के साथ प्रेम, मानसिक संतोष एवं सहयोग की आवश्यकता रहती है। परन्तु अधिकांश वृद्धजन इन्ही से वंचित है। इसी विचार से प्रेरित होकर उक्त कार्य प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था की प्रमुख समस्यायें

1- **शारीरिक समस्याएं –** इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना दुर्बल हो जाता है कि वह बिना किसी की सहायता के कार्य नहीं कर सकता है।

2- **मानसिक समस्याएं–**इस अवस्था में व्यक्ति की मानसिक क्षमता कम होने लगती है एवं उसकी याददाश्त कमजोर होती जाती है।

3- **स्वास्थ संबंधी समस्याएं–**इस अवस्था में कई प्रकार की बीमरियां व्यक्ति के शरीर में पैदा हो जाती हैं क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है।

4- **आर्थिक समस्याएं** –वृद्धावस्था में व्यक्ति आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने लगता है।

5- **पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं –** परिवार में वृद्ध व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है। सब उससे कतराने लगते हैं। वह कहीं बाहर भी नहीं निकल पाते हैं उनका सामाजिक दायरा कम होता जाता है।

6- **अकेलेपन की समस्याएं–**परिवार वाले वृद्धावस्था में व्यक्ति को अकेले छोड़ देते हैं जिससे वह अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाता है और अकेलेपन का शिकार हो जाता है।

वैदिककाल में वृद्धों की सामाजिक स्थिति

वैदिक संस्कृति में वृद्धजनों को परिवार व समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। इसी काल में श्रवणकुमार ने अपने वृद्ध माता–पिता को अपने कँधे पर बिठाकर सम्पूर्ण तीर्थ यात्रा करवाई थी। वृद्धावस्था को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित बनाने के लिये अनेक व्यवस्थायें बनाई गई। इसमें संयुक्त परिवार सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसके माध्यम से परिवार के समस्त, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक तथा धार्मिक अधिकार वृद्धों को सौंपकर दूसरे सदस्यों को उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करना एक सामाजिक प्रतिमान बना दिया गया था। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज में वृद्धों को आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आश्रम तथा पुरूषार्थ व्यवस्था ने व्यक्ति के दायित्व इस तरह निर्धारित किये कि जिससे वृद्धजन मानसिक तनावों से दूर रहकर अपने जीवन के उपयोगी अनुभवों कसे समाज को लाभान्वित कर सकें। परन्तु बदलते समाज में ह्रास होते प्रतिमानों, परम्परा व बदलाव लाने वाले कारकों के मध्य यह दृष्टिकोण कितने समय तक रहेगा यह कहा नहीं जा सकता। आज औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिक शिक्षा एवं वैश्वीकरण के बल पर भारतीय समाज के विकास की कल्पना की जा रही है। वहीं भारतीय परम्परागत मूल्यों का ह्रास हो रहा है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्तिवादिता के कारण आत्मीयता में भी कमी आई है। फलतः आज भारतीय समाज में परम्परा एवं आधुनिकता में द्वन्द्व देखने को मिल रहा है। एक ओर भारतीय समाज भौतिकवाद की ओर अग्रसर है वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति मूल्य, मापदण्ड प्रतिमानों के स्वरूप मे परिवर्तनशीलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। अतः सम्पूर्ण समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में यह वर्ग अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। वृद्धजनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की एक शाखा का विकास हुआ जिसे जिटोनटोलॉजी कहा जाता है।

वृद्धों से सम्बन्धित पूर्व में किये गए कार्य

वृद्धों के संदर्भ में अनेक विदेशी अध्ययन समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों द्वारा किये गये। इनमें इप्सटीन (1930), क्रेप्स(1953), कारसन (1955), स्टीनर और डारमैन (1957), मेन्पाटे और थापस (1969), नैन्सीदातान और नैनसी लाहमान(1980) के अध्ययन प्रमुख है। इस संदर्भ में भारतीय समाज वैज्ञानिकों द्वारा भी जरेन्टोलॉजी के क्षेत्र में विकास हुआ है तथा इस दिशा में भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा किये गये अध्ययनों में जगजीत सिंह (1962), गुरुशरण कौर (1964), राममूर्ति पी.वी. (1970, 1996), पुरोहित, सी. के एवं शर्मा आर (1972), कुरियन जार्ज (1972), पी.के.वी नायर (1980), पाठक जे.डी. (1982), फाटिया (1983), चण्डी प्रसाद(1983), के. महादेव (1986), अनिल महाजन (1987), देसाई (1986), भट्टाचार्य (1989), सरस्वती मिश्रा (1989), आदि के अध्ययन प्रमुख है।

भारत में वृद्धों की स्थिति

भारत में वृद्धों की स्थिति जीवन प्रत्याशा में सुधार के परिणामस्वरूप 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् 1901 में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या मात्र 1.2 करोड़ थी 1951 में यह बढ़कर 5.7 करोड़ तक पहुँच गई थी तथा वर्तमान में लगभग 7 करोड़ 70 लाख है। 2001 की जनगणनानुसार भारत के वृद्धों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख 22 हजार 321 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 3,77,68,327 तथा 3,88,53,994 महिलायें सम्मिलित है। भारत के अनुमानुसार सन् 2030 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 19.8 करोड़

और 2050 तक यह संख्या 32.6 करोड़ तक पहुँचने की सम्भावना है।

1989 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धों को होने वाली समस्याओं से बचने के लिए पहली बार वैज्ञानिक विचार–विमर्श किया। उसके बाद से कई देशों में वृद्धों के कल्याण हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही है। इंग्लैण्ड में पर्सनल सर्विस, थाईलैंड में एशिया ट्रेनिंग सेन्टर ऑन एजिंग, हांगकांग में गुड केयर सेंटर, केन्या में हेल्पेज इन्टरनेशनल, अर्जेटीना में एफ. आई. एफ. इजराइल में राष्ट्रीय बीमा संस्थान तथा चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि देशों में इस तरह की संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही है।इन संस्थानों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ उनके स्वास्थ एवं मनोरंजन की सुविधायें दी जा रही है।

भारत में भी वृद्ध कल्याण केन्द्र जैसी संस्थाएं कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 को वरिष्ठ नागरिक वर्ष घोषित कर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने भी वर्ष 200 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया। वर्तमान में परिवर्तन की दूषित प्रक्रियाओं के साथ ही संचार साधनों जैसे टी.वी., रेडियो, कम्प्यूटर, सीडी तथा इन्टरनेट ने युवाओं को जो ज्ञान तथा सूचनायें दी है उससे एक ओर जहां वृद्धों का ज्ञान और अनुभव बोना सा गया है, वही दूसरी ओर वृद्धों की स्थिति को उपेक्षित तथा मानवीय संबंधों को असंवेदनशील बना दिया है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक कमजोरी और दूसरी ओर परिवार तथा समाज से मिलने वाला प्रतिकूल व्यवहार उसे मानसिक रूप से भी कमजोर बना देता है। बदली हुई भारतीय सामाजिक संरचना जिसमें एकांकी परिचार, संचार, यातायात के साधनों का विकास, बदलते सामाजिक मूल्य, शिक्षा, व्यक्तिवादिता आदि ने वृद्धों की सामाजिक स्थिति को चुनौती दी है। परिणामस्वरूप वे स्वयं को पराधीन, कमजोर, असहाय और उपेक्षित महसूस करते हैं जिससे उन्हें शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुँचती है।

सरकार द्वारा वृद्धों की स्थिति सुधारने हेतु किये गये प्रयास

वर्तमान समय में वृद्धों की स्थिति सुधारने से संबंधित किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 1992 में वृद्धों को सहायता देने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अन्तर्गत डे केयर सेंटर, वृद्धावस्था गृह वृद्धजन देखरेख केन्द्र तथा सचल चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके हैं वर्ष 2007–2008 के अनुमानित आंकड़ों (सरकारी, गैर सरकारी) के आधार पर वृद्धाश्रमों की संख्या 1000 से अधिक हैं वृद्धों के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में मुख्य निम्न है– वृद्धावस्था गृह, वृद्धजन देखरेख केन्द्र, सचल चिकित्सालय सेवाये, गैर संस्थात्मक सेवाएं, अन्य सुविधाएं – 1 पेंशन योगलना 75 रूपये से लेकर 300 रूपये तक, 2. अन्नपूर्णा योजना, 3. सभी स्वीकृत बैंको द्वारा 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों को 0.75 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है। 4. जिन वृद्धों की आयु 65 से अधिक है। उन्हें आयकर छूट दी जाती है। 5. रेल किराये में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान 6. सीनियर सिटीजन स्कीम के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जमा राशि पर अन्य लोगों को मिलने ब्याज से 1 प्रतिशत अधिक, वर्ष 2007–08 के बजट में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 1 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। 31 दिसम्बर 2009 तक भारत सरकार द्वारा वृद्धों की सहायतार्थ 282 गैर सरकारी संस्थाओं को 9.30 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसी संदर्भ में बेसहारा माँ, बाप और भरण पोषण हेतु ससंद में एक बिल पारित किया गया है। जिसके अंतर्गत अपराधिक प्रक्रिया संहिता की

धारा 125 में संशोधन कर 125 (आई) डी जोड़ा गया, ताकि पीछे छोड़ दिये गये वृद्ध माता–पिता के भरण पोषण की व्यवस्था उनकी संतानों से कानूनन कराई जा सके। सरकार द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि भरण–पोषण की मांग माता–पिता अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद भी अगर पुत्र भरण पोषण से इंकार करता है तो अदालत उसे धारा 125 (3) के तहत कैद की सजा सुना सकती है। सरकार तथा गैर सरकारी स्तरों पर वृद्धों की समस्यायओं का हल तभी संभव है जब उन्हें समाज का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग मानकर उन्हें मनोवैज्ञानिक संरक्षण दिया जाये।

निष्कर्ष

वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि परिवार में बाल्यावस्था से ही सदस्यों में ऐसे मूल्य संकार विकसित किये जायें कि युवा पीढ़ी में वृद्धों के प्रति लगाव, सहानुभूति और सम्मान के भाव उनके समाजीकरण का एक आवश्यक हिस्सा बन जाये, जिससे समाज में सामाजिक, पारिवारिक व संरचनात्मक संतुलन बना रहे। साथ ही शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों में नैतिकता का विकास किया जाये जिससे वे लोग वृद्धों का सम्मान करना सीखे।

बदलती परिस्थितियों में एक ओर जहां वृद्धों को अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए अपने क्षमतानुसार सहयोग करना होगा जिससे अनुभवी वृद्ध और कार्यशील युवा मिलकर समाज को एक नई देते हुए समाज को नवनिर्माण कर सके। वहीं दूसरी ओर युवा वृद्धों को एक समस्या न मानकर उन्हें अपना उत्तरदायित्व समझें साथ ही आने वाली पीढीयों में यह सोच विकसित करे कि वृद्ध माता–पिता जीवन की एक अनमोल धरोहर है जिसे जीवन में हर व्यक्ति केवल एक बार प्राप्त करता है और जीवन की इस अनमोल धरोहर को सम्भाल कर रखना इस जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तभी समस्याओं का समुचित समाधान हो सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम जैसा व्यवहार आज अपने घर के वृद्धों के साथ कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी।

सुझाव

1. परिवार के निर्णय में वृद्ध लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी महत्ता का अहसास बना रहे।
2. वृद्ध व्यक्तियों को उनके मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ्य रहें।
3. वृद्ध व्यक्तियों को मनोरंजन की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ रह सकें।
4. वृद्ध लोगों को पूर्ण सम्मान एवं सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक एवं शारीरिक शोषण से बच सके।
5. परिवार की वृद्धजनों को भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे वे अकेलेपन या अवसाद की स्थिति में न आ पाएं।
6. वृद्ध लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है उनके पास पर्याप्त पैसा होना जरूरी है ताकि उनमें असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए एवं वे अपनी जरूरतों के मुताकिब खर्च कर सकें।
7. वृद्धों की सामाजिक स्थिति अच्छी करने के लिये राज्य को नये कानून बनाने की पहल करनी चाहिए।

8. उपरोक्त के विपरीत इस बात का उल्लेख न किया गया तो यह शोधपत्र अधूरा रहेगा कि वृद्धों को अपनी परम्परागत हठधर्मिता को आवश्यक रूप से छोड़ते हुए नई पीढ़ी के युवाओं के साथ तालमेल अच्छा रखने का प्रयत्न करना चाहिये।

संदर्भ

- राष्ट्रीय वृद्ध नीति, राष्ट्रीय वृद्धजन शिक्षा संसाधन केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- www.dw.com/hi/बुजुर्गों-के-साथ-बढ़ता-भेदभाव
- http://www.nisd.gov.in राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
- भारत का राजपत्र, सामाजिक रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, जनवरी 22, 2013

Copyright © 2017, Dr. Jai Singh Yadav. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.